फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री नोजीबाई** | विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 131, 136 एलआरएक्ट | पत्रावली संख्या :– 28/25

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/105

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की मौजा खेड़ा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की तनाजा जमाबंदी (खेड़ा भानसोल बनाम बाजूंदा) में आराजी नम्बर 4, 5, 6, 7 किता 4 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 15 किता 1 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा में प्रार्थ्र्गीया 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त तनाजा के सम्बन्ध में पूर्व में की गई रिपोर्ट व उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के पत्रांक F-9/LR/DILRMP/Kheda Bhansol/2024/7885-94 दिनांक 24.09.2024 से श्रीमान उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) राजस्थान को DILRMP अन्तर्गत खेड़ा भानसोल तहसील मावली (घासा) व ग्राम बांजून्दा तहसील देलवाड़ा के ओवरलेप भूमि के संबंध में दोनो जिलो के प्रभारी अधिकारी भू.अ. द्वारा संयुक्त बैठक के निर्णय अनुसार नोटीफाईड कराने बाबत भेजा गया है। वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी में उक्त खसरे प्रदर्शित नहीं हो रहे है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थी द्वारा जिन आराजीयात बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वो भूमि तनाजा की भूमि थी। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक F-9/LR/DILRMP/Kheda Bhansol/2024/7885-94 दिनांक 24.09.2024 के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 14.03.2022 एवं 15.03.2022 को दोनो जिले उदयपुर एवं राजसमंद की संयुक्त सर्वे टीम द्वारा मौका एवं रिकॉर्ड अनुसार जांच तैयार की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर जिले का राजस्व ग्राम खेड़ा भानसोल की ओवरलेप भूमि तहसील मावली से हटाकर राजस्व ग्राम बाजून्दा तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द [illegible]हित करने बाबत प्रस्ताव भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16([illegible]) के प्रावधानो के तहत निस्तारण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadiya
Date: 2026.01.21 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

कर नोटीफाई कराने बाबत श्रीमान उप शासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–1) राजस्थान जयपुर को भेजा गया है। ऐसे में उक्त प्रकरण को अधोहस्तारक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में नही है तथा ना ही भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के प्रावधानो से सुसंगत है। क्योंकि की उक्त प्रकरण के संबंध में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16(ख) के प्रावधानो के तहत कार्यवाही जारी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested